पत्रांक : 2प० / प०स०भ०–09–29 / 2024(Part-1) / 3835 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 27/2/26

विषय : ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्मित होने वाले पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु राशि के निकासी / व्यय के संबंध में दिशा–निर्देश।

प्रसंग : (1) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 15(स्वी०) दिनांक 02.06.2025, आवंटनादेश संख्या 19(आ०) दिनांक 19.06.2025

(2) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 48(स्वी०) दिनांक 23.09.2025, आवंटनादेश संख्या 51(स्वी०) दिनांक 24.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 एवं 03(स्वी०) दिनांक 12.05.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रसंगाधीन (क्र० सं०–1) स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्मित होने वाले 1435 + 244 = 1679 पंचायत सरकार भवनों में से 622 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु राज्य योजना मद से कुल ₹162.1088 करोड़ (एक अरब बासठ करोड़ दस लाख अठासी हजार रूपये) मात्र की राशि सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को आवंटित है।

विभागीय संकल्प संख्या 6549 दिनांक 23.05.2025 के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रसंगाधीन (क्र० सं०–2) स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्मित होने वाले 1069 पंचायत सरकार भवनों में से 663 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु राज्य योजना मद से ₹25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये) मात्र प्रति पंचायत की दर से कुल ₹165.75 करोड (एक अरब पैंसठ करोड़ पिचहत्तर रूपये) मात्र की राशि सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को आवंटित है।

https://d.docs.live.net/3350de1fb419f60c/Desktop/Letter.docx

2. उल्लेखनीय है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 एवं 03(स्वी०) दिनांक 12.05.2021 के आलोक में ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्मित होने वाले 1435 + 244 = 1679 पंचायत सरकार भवनों में से 622 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध होने पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण प्रारम्भ किया गया है।

साथ ही विभागीय संकल्प संख्या 6549 दिनांक 23.05.2025 के आलोक में ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण हेतु स्वीकृत 1069 पंचायत सरकार भवनों में से 663 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलबध होने पर निर्माण की स्वीकृति देते हुए राशि उपलब्ध कराई गई है। 1069 में से 663 के अतिरिक्त भी अन्य अवशेष ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने की सूचना प्राप्त हो रही है।

3. समीक्षा के क्रम में ज्ञात हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्मित होने वाले पंचायत सरकार भवनों के लिए आवंटित कुल ₹162.1088 + ₹165.7500 = ₹327.8588 करोड़ रूपये में से दिनांक 17.02.2026 तक ₹106.6072 करोड़ रूपये मात्र की राशि का ही व्यय हुआ है (**जिलावार व्यय प्रतिवेदन संलग्न**)। उक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 की समाप्ति में लगभग 40 दिन मात्र शेष हैं, ऐसे में राशि के व्ययगत् हो जाने की भी सम्भावना है।

4. अतएव उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेशों/आवंटनादेशों द्वारा आवंटित ₹162.1088 + ₹165.7500 = ₹327.8588 करोड़ रूपये मात्र की राशि में से संबंधित जिले में अवशेष राशि का उपयोग/व्यय के संबंध में निम्नवत् निदेश संसूचित किये जाते हैं :–

(i) विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 एवं 03(स्वी०) दिनांक 12.05.2021 के आलोक में ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्मित होने वाले 1435 + 244 = 1679 पंचायत सरकार भवनों में से 622 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु उक्त आवंटित राशि का उपयोग/व्यय किया जा सकेगा।

(ii) विभागीय संकल्प संख्या 6549 दिनांक 23.05.2025 के आलोक में ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्मित होने वाले 1069 पंचायत सरकार भवनों में से 663 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु उक्त आवंटित राशि का उपयोग/व्यय किया जा सकेगा।

(iii) विभागीय संकल्प संख्या 6549 दिनांक 23.05.2025 के आलोक में ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्मित होने वाले 1069 पंचायत सरकार भवनों में से 663 ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त अन्य अवशेष ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध होने पर पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु भी उक्त आवंटित राशि का उपयोग/व्यय किया जा सकेगा।

(iv) उक्त के संबंध में राशि की निकासी/व्यय प्रसंगाधीन विभागीय स्वीकृत्यादेशों एवं आवंटनादेशों में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

(v) यदि विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019, 03(स्वी०) दिनांक 12.05.2021 तथा विभागीय संकल्प संख्या 6549 दिनांक 23.05.2025 द्वारा स्वीकृत पंचायत सरकार भवनों में से किसी ग्राम पंचायत में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन अथवा भवन निर्माण विभाग द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण की स्वीकृति पूर्व में दी गयी हो तो उन ग्राम पंचायतों में राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

5. उक्त निदेश का अनुपालन करते हुए नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई किये जाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

25/2/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/प०स०भ०–09–29/2024(Part-1)/3835/पं०रा० पटना, दिनांक 27/2/26

प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/प०स०भ०–09–29/2024(Part-1)/3835/पं०रा० पटना, दिनांक 27/2/26

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/2/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव